

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक (राजस्थान)

क्रमांक :- 767


दिनांक :- 22/9/23

॥ संशोधित कार्यालय आदेश ॥

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 585 दिनांक 02.09.2023 में अपरिहार्य कारणों से संशोधन किया जाकर दिनांक 25.09.2023 के राजकीय अवकाश में श्री डॉ. अंजुम खान, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निवाई के स्थान पर श्री अल्का मीणा, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई मोबाईल नम्बर 7414018889 को टोंक न्यायक्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड) एवं अन्य आवश्यक प्रकृति के समस्त न्यायिक कार्य सम्पादित किये जाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

नोट :- उक्त राजपत्रित अवकाश के आगामी दिवस् को आकस्मिक अवकाश घोषित होने की स्थिति में अवकाश घोषित दिवस् से पूर्व दिवस् को राजपत्रित अवकाश हेतु न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड), से सम्बन्धित समस्त कार्य सम्पादित किए जाने के लिए अधिकृत न्यायिक अधिकारी ही टोंक न्यायक्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड) व अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे।

उक्त इ्यूटी चार्ट में यदि कोई न्यायिक अधिकारी परिवर्तन चाहता है तो इस बारे में अन्य न्यायिक अधिकारी से उक्त दिवस् की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करें, तत्पश्चात् ही सम्बन्धित अधिकारी के इ्यूटी परिवर्तन के प्रार्थना पत्र पर विचार किया जा सकेगा।



मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक

क्रमांक :- 768-790

दिनांक :- 22/9/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक।
2. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक/निवाई/उनियारा/मालपुरा/टोडारायसिंह।
3. न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक/निवाई/उनियारा/मालपुरा/दूनी/देवली/पीपलू।
4. अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक/निवाई/देवली/न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, देवली।
5. पुलिस अधीक्षक महोदय, टोंक।
6. अधीक्षक, जिला कारागृह, टोंक।
7. जिला आबकारी अधिकारी, टोंक।
8. सहायक समादेष्टा निरोधक दल, टोंक।
9. पुलिस कन्ट्रोल रूम, टोंक।
10. प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को जारी कर लेख है कि वे उक्त आदेश को जिला न्यायालय, टोंक की वेबसाइट पर अपलोड करें।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक